



Regd. Office: BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049  
(CIN: L74899DL1964GOI004281)  
Phone: 011-66337000, Fax: 011-26493021  
E-mail: shareholderquery@bhel.in, Website: www.bhel.com

**ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 50<sup>th</sup> AGM OF BHEL**

Pursuant to Rule 13 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, Notice is hereby given that the Company has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri A.N. Roy, Additional Director on the Board of BHEL on 02.09.2014, proposing his candidature for election to the office of Director in the ensuing 50<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company, scheduled to be held on 19<sup>th</sup> September, 2014 at 10.00 A.M. at FICCI Auditorium, Barakhamba Road (Tansen Marg), New Delhi-110001.

The resolution for appointment of Shri A.N. Roy for the office of a Director will be taken up for consideration of the members in the AGM, as part of the Special Business of the AGM, in the form of an ordinary resolution, as set forth below:

Item No. 10- Appointment of Shri A.N. Roy (DIN: 01361110) as Independent Director

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 152 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Shri A.N. Roy (DIN: 01361110), who was appointed as an Additional Director pursuant to Article 67(iv) of the Articles of Association of the Company read with Section 161 of the Companies Act, 2013 w.e.f. 27.08.2014 to hold Office upto the date of this Annual General Meeting and in respect of whom, the Company has received a notice in writing from the Director himself pursuant to the provisions of Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Company."

**EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013**

Shri A.N. Roy (DIN: 01361110), aged 64 years is Ex-DGP, Government of Maharashtra. As per the direction of the Govt. of India, Shri A.N. Roy was appointed as an Additional Director of the Company w.e.f. 27.08.2014. Having been so appointed, Shri A.N. Roy holds office till the date of ensuing Annual General Meeting by virtue of Section 161 of the Companies Act, 2013 read with Article 67(iv) of the Articles of Association of the Company and is eligible for appointment.

As per requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing, proposing candidature of Shri A.N. Roy for the Office of Director of the Company. The Company has received a declaration from Shri Roy that he meets the criteria of independence as prescribed both under sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013 and under Clause 49 of the Listing Agreement. Keeping in view his vast expertise and knowledge, it will be in the interest of the Company that Shri A.N. Roy is appointed as an Independent Director. In the opinion of the Board, Shri A.N. Roy fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder for his appointment as an Independent Director of the Company and is independent of the Management. Brief Resume of Shri A.N. Roy as per Clause 49(V)(G)(I) of the Listing Agreement is as under:

"Shri A.N. Roy, aged 64 years, was inducted as Part-time Non-official Director on the Board of BHEL on 27.08.2014.

Shri A. N. Roy, M.A., M. Phil is a distinguished retired civil servant. During his long career of 38 years in the Indian Police Service (IPS), Shri Roy held with great distinction a range of assignments, including some of the most prestigious, challenging and sensitive ones, both in the state of Maharashtra and Government of India, including Commissioner of Police, Mumbai and DGP, Maharashtra before retiring in the year 2010.

Shri Roy's areas of specialisation include policy planning, recruitment, training and other finance and administration functions in addition to all operational matters.

A firm believer in technology in Police and government for providing solutions to a variety of complex problems or citizen facilitation and as a force-multiplier, Shri Roy brought in technology in a very big way in the Police department with full co-operation and support of the entire IT industry. Shri Roy also held the position of Director General of the Anti-Corruption Bureau, in which capacity Shri Roy initiated a policy document on vigilance matters for Government of Maharashtra.

Shri Roy has wide knowledge and experience of security and intelligence matters at the state and national level. Having handled multifarious field and staff assignments, Shri Roy has a rich and extensive experience of functioning of the government at various levels and of problem solving.

Shri Roy is currently a Director on the Boards of HDFC Bank Limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited, IndiaVenture Advisors Private Limited, Mayar Infrastructure Development Private Limited and Skills Academy Private Limited. Shri Roy is also the Founder and Chairman of Vandana Foundation, a non profit company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 engaged in livelihood support to people at the bottom of the pyramid. Vandana Foundation also supports widows and families of farmers who committed suicide in two districts of Vidarbha in Maharashtra, namely Yavatmal and Wardha. Shri A.N. Roy is the Chairman of the SIGC and Member of the Fraud Monitoring Committee and Customer Service Committee of HDFC Bank. He is a Member of CSR Committee and Senior Executive Appraisal Committee of GSK.

Shri Roy does not hold any shares in BHEL."

Except Shri A.N. Roy, being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the resolution set out at item no. 10.

The Board of Directors commends the resolution for approval of the Shareholders.

By order of the Board  
Sd/-  
(I.P. Singh)  
Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: 6 September, 2014

The above addendum to the Notice & explanatory statement alongwith Notice dated 16.08.2014 of the ensuing 50<sup>th</sup> AGM is available on the website of the Company ([www.bhel.com](http://www.bhel.com)). Further, as per revised Clause 35B of the Listing Agreement facility for e-voting is available to the members in respect of the aforesaid resolution also on Karvy's (e-voting service provider) website: <https://evoting.karvy.com>.



पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049  
(सीआइएन: L74899DL1964GOI004281)  
फोन : 011-66337000, फॅक्स : 011-26493021  
ईमेल: shareholderquery@bhel.in, वेबसाइट www.bhel.com

**बीएचईएल की 50<sup>वीं</sup> एजीएम की सूचना का परिशिष्ट**

कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी को बीएचईएल के बोर्ड में अपर निदेशक श्री ए.एन. रॉय से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत एक सूचना दिनांक 02.09.2014 को प्राप्त हुई है, जिसमें कम्पनी की आगामी 50<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक (एजीएम), जो 19 सितम्बर, 2014 को प्रातः 10:00 बजे फिक्की ऑडीटोरियम, बारखम्बा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जानी है, में निदेशक के पद हेतु निर्वाचन के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव किया गया है।

निदेशक के पद पर श्री ए.एन. रॉय की नियुक्ति का प्रस्ताव एजीएम में सदस्यों के विचारार्थ, एजीएम के विशेष विषय के तौर पर, साधारण प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा, जैसाकि नीचे दिया गया है: मद सं. 10 - श्री ए.एन. रॉय (सीआइएन: 01361110) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया गया, तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि धारा 149, 152 के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 (किसी सांविधिक संशोधन (नौ) अथवा अस्थायी रूप से लागू उसके पुनर-अधिनियमन सहित) के अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसरण में, श्री ए.एन. रॉय (सीआइएन: 01361110), जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के साथ पठित कम्पनी के आर्तिनियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसरण में, दिनांक 27.08.2014 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अपर निदेशक नियुक्त किए गए थे और जिनके संबंध में, कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के प्रावधानों के अनुच्छेद 67(iv) के आधार पर आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इस पद पर रहने और वे नियुक्ति हेतु पात्र हैं।"

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण श्री ए.एन. रॉय (सीआइएन: 01361110), आयु 64 वर्ष महाराष्ट्र सरकार के पूर्व-डीजीपी हैं। भारत सरकार के निदेशानुसार, श्री ए.एन. रॉय को 27.08.2014 से अपर निदेशक नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर, श्री ए.एन. रॉय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के साथ पठित कम्पनी के अंतर नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के आधार पर आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इस पद पर रहने और वे नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार अपेक्षित है, कम्पनी को कम्पनी के निदेशक पद हेतु श्री ए.एन. रॉय की उम्मीदवारी का लिखित प्रस्ताव हुआ है। कम्पनी ने श्री ए.एन. रॉय से एक घोषणा प्राप्त की है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) तथा सूचीयन अनुबन्ध के क्लॉज 49 दोनों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों की पूर्ति करते हैं। उनकी गहन विशेषज्ञता और ज्ञान को देखते हुए श्री ए.एन. रॉय को कम्पनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाना कम्पनी के हित में होगा। बोर्ड की सत्यता में, श्री ए.एन. रॉय कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। सूचीयन अनुबन्ध के क्लॉज 49(V)(G)(I) के अनुसार श्री ए.एन. रॉय का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

"श्री ए.एन. रॉय, आयु 64 वर्ष, दिनांक 27.08.2014 को बीएचईएल के बोर्ड में अपर-कालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए थे।

श्री ए.एन. रॉय, एन.ए.एम.ए.ए. एक प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में 38 वर्ष के लम्बे करियर में, श्री रॉय वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त होने से पहले, महाराष्ट्र राज्य और भारत सरकार दोनों में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, जिनमें पुलिस आयुक्त, मुंबई तथा डीजीपी, महाराष्ट्र के पर अतिरिक्त प्रतिष्ठित, चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील थे।

श्री ए.एन. रॉय की विशेषज्ञता के क्षेत्रों में योजना, भर्ती, प्रशिक्षण एवं अन्य वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त सभी परिचालन कार्य शामिल हैं।

विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराने अथवा नागरिक सुविधा के लिए तथा सामर्थ्य बढ़ाने के उपाय के रूप में पुलिस और सरकार में टेक्नोलॉजी अपनाई जाने में दृढ़ विश्वास रखने वाले श्री रॉय समूचे आईटी उद्योग के पूर्ण सहयोग और समर्थन से पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी लाए। श्री रॉय एटी-करण ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के लिए सततकालीन संघर्षों पर नीति दस्तावेज प्रारंभ किया।

श्री रॉय को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और आपसूचना विषयों का व्यापक ज्ञान और अनुभव है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और स्टाफ कार्यों का संचालन करते हुए, श्री रॉय ने विभिन्न स्तरों पर सरकार की कार्यपालनी और समस्या समाधान का एक गहन और व्यापक अनुभव हासिल किया है। श्री रॉय वर्तमान में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ग्लैक्सोस्मिथकलाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इंडिया वेयर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मयार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और रिक्लस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। श्री रॉय वन्दना फाउण्डेशन के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं, जो समाज के सबसे निचले वर्ग के लोगों की आजीविका सहायता के कार्य में संलग्न, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन पंजीकृत एक गैर लाभकारी कम्पनी है। वन्दना फाउण्डेशन महाराष्ट्र में विदम्बं के दो जिलों, यवतमाल और वर्धा में आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं तथा परिवारों की भी सहायता करता है। श्री ए.एन. रॉय एचडीएफसी बैंक के एसआईजीसी के अध्यक्ष तथा फ्रांड मॉनीटरिंग समिति तथा कस्टमर सर्विस समिति के सदस्य हैं। वे जीएसके के सीएसआर समिति और सीनियर एजीकुटिव एग्जल समिति के सदस्य हैं।

श्री रॉय बीएचईएल के शेयरधारक नहीं हैं।"

श्री ए.एन. रॉय, की नियुक्ति के अलावा कम्पनी के किसी भी निदेशक तथा प्रबंधन के किसी प्रमुख कार्मिक और उनके सम्बन्धी का मद सं. 10 में उल्लिखित प्रस्ताव में वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का कोई सरोकार अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदनार्थक इस संकल्प की अनुमति करता है।

बोर्ड के आदेश द्वारा  
हस्ता /-  
(आई पी सिंह)  
कम्पनी लापर

स्थान नई दिल्ली  
तिथि : 8 सितम्बर, 2014

सूचना एवं व्याख्यात्मक विवरण का उपरोक्त परिशिष्ट आगामी 50<sup>वीं</sup> एजीएम की सूचना दिनांक 16.08.2014 सहित कम्पनी की वेबसाइट ([www.bhel.com](http://www.bhel.com)) पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सूचीयन अनुबन्ध के संशोधित क्लॉज 35B के अनुसार सरोकार प्रस्ताव के संबंध में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा भी कार्यालय (नए) ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) की वेबसाइट: <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।